कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 19.06.2026

थाना बिंदकी पुलिस द्वारा छिनैती की घटना से संबंधित दो शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.06.2026 को थाना बिंदकी पर वादनी श्रीमती कुमारी प्रशाली पुत्री सुरेश कुमार निवासी भगौनापुर पोस्ट मिस्सी सेलावन बिन्दकी जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि आरोपीगणो द्वारा वादिनी का मोबाइल हाथ से छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में । उक्त सूचना के आधार पर थाना बंदकी पर मु0अ0सं0 209/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम 1.सूरज कुमार रैदास पुत्र पप्पू 2.करन रैदास पुत्र सुखराम निवासीगण ग्राम शाहजहापुर थाना बकेवर फतेहपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 19.06.2026 को थाना बिंदकी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/2026 धारा 304(2) BNS से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. सूरज कुमार रैदास पुत्र पप्पू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शाहजहांपुर मझिलेगांव थाना बकेवर जनपद फतेहपुर, 2. करन रैदास पुत्र सुखराम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शाहजहांपुर मझिलेगांव थाना बकेवर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे लोग मोटरसाइकिल संख्या UP 71 BD 6463 से भीड़भाड़ अथवा सुनसान स्थानों पर मोबाइल फोन पर बात कर रहे व्यक्तियों को निशाना बनाकर झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लेते थे तथा पुलिस से बचने हेतु गांव के भीतरी रास्तों का उपयोग कर फरार हो जाते थे। छीने गए मोबाइल फोन को बाद में अन्य स्थानों पर बेचकर प्राप्त धनराशि से अपने निजी खर्च पूरे करते थे।

अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 18.06.2026 को लगभग 11:30 बजे महिला डिग्री कॉलेज के पास एक लड़की से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे तथा उक्त मोबाइल बेचने के उद्देश्य से खजुहा आए थे, जहां पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सूरज कुमार रैदास पुत्र पप्पू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शाहजहांपुर मझिलेगांव थाना बकेवर जनपद फतेहपुर ।
2. करन रैदास पुत्र सुखराम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शाहजहांपुर मझिलेगांव थाना बकेवर जनपद फतेहपुर ।

बरामदगी का विवरण-

1. छीना गया मोबाइल फोन बरामद ।
2. घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. सूरज कुमार रैदास

- मु0अ0स0 209/2026 धारा 304(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर ।
- मु0अ0स0 395/2020 धारा 279/304-A IPC थाना बकेवर जनपद फतेहपुर ।

2. करन रैदास

- मु0अ0स0 209/2026 धारा 304(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्दन सिंह चौकी प्रभारी कस्बा बिन्दकी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज मौर्या
3. का0 कपिल सोनी
4. का0 अरविन्द सिंह
5. का0 अखण्ड